

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर
बलदेव राम बनाम कलवन्त सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 63, 88, 92ए, 188 आरटीए नम्बर 291 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/408

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	---

9.10.2023	वादीगण बलदेव राम पुत्र रामस्वरूप निवासी 42 जीजी तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 63, 88, 92ए, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।	
-----------	---	--

20/11/23 वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 4, 6, 7, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राणा ने पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/1/24 को पेश की।

गटिवाली क 1-46-7-10 की तरफ 07

10/2/24 वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यक्त हैं। पत्रावली दिनांक 21/12/23 को पेश हो।

5/2/24 आज यह पत्रावली वादीगण व वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्राथम पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथम पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण में हम पक्षकारान का सम्झौता हो चुका है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर जरिए नोटिस खारिज करमाया जावे। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णति लेकर नम्बर से काम होकर तखिल फुतर ले

Not Bress



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर